रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2013/फाल्गुन 17, 1934

No. 548] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2013/PHALGUNA 17, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2013

का.आ. 591(अ).—शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा बाद की अधिसूचनाओं यथा दिनांक 2 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या का0आ0 831 (घ); दिनाक 12 मई, 2004 का का0आ0 568 (घ) और दिनांक 19 अक्तूबर, 2007 का का0आ0 1864 (घ) के माध्यम से परिवर्तन शामिल करके विषयवस्तु में संशोधन के जरिये और आदेशो को व्यापक बनाने के लिए नए प्रावधान जोड़ते हुए गृह मंत्रालय के 12 सितम्बर, 1985 के का0आ0 667 (घ) भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है और यह निम्नानुसार पठित है:

"जबकि केन्द्र सरकार का विचार है कि यह जनहित के लिए आवश्यक और उचित है कि कुछ विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कुछ प्रावधानों के प्रचालन से छूट प्रदान की जाए;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कॉलम 3 में समकक्ष प्रविष्टि में उल्लिखित विवरण की श्रेणी के शस्त्र जब वे प्रशिक्षण या प्रतियोगिताओं में प्रयोग के प्रयोजन से अपने निजी प्रयोग के लिए रखे जाएं, के संबंध में संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा-। के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) और खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) के प्रावधानों के प्रचालनों से और उक्त अधिसूची के कॉलम 4 में समकक्ष प्रविष्टि में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है:-

2.	अंतरराष्ट्रीय पदक धारक/ख्याति प्राप्त निशानेबाज	जिस स्पर्धा में व्यक्ति अन्तरराष्ट्रीय पदक धारक अथवा ख्याति प्राप्त निशानेबाज है उसमें किस प्रकार के शस्त्र प्रयोग किए गए। (i) .22 अंतरव्यास की लांग राइफल (.22 एल0आर0 के नाम से भी विख्यात) (ii) 8 एम0एम0 से कम सभी अंतरव्यासों वाली को मिलाकर 8 एम0एम0 तक के अंतरव्यासों वाली सेन्टर फायर राइफलें। (iii) 9एम0एम0 पैराबेलम (9x19एम0एम0) को छोड़कर 9एम0एम0 तक अथवा 9एम0एम0 अंतरव्यास वाली पिस्तौल/रिवाल्वरें। (iv) 12 बॉर/गेज से कम सभी अंतरव्यासों को मिलाकर 12 बोर/गेज तक के अंतरव्यास वाली बन्दूकें।	शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य नागरिक के रुप में अधिकृत हथियारों की संख्या की हकदारी के अतिरिक्त छूट प्राप्त हथियारों की कुल संख्या छः से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह दस हथियारों की समग्र सीमा के अध्यधीन है। **टिप्पणी:** ऊपर किए गए उल्लेखानुसार यदि कोई शूटर दो से अधिक स्पर्धाओं में ख्याति प्राप्त है तो ऐसे ख्याति प्राप्त शूटर के पास रखे जाने वाले हथियारों की संख्या दस से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3.	कनिष्ठ लक्ष्य शूटर (12 वर्ष से 21 वर्ष)	जिस स्पर्धा में व्यक्ति कनिष्ठ शूटर है उसमें किस प्रकार के शस्त्र प्रयोग किए गए।	छूट प्रदान किए गए शस्त्रों की कुल संख्या शस्त्र अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार सामान्य नागरिक होने से एक व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने के अधिकार को मिलाकर चार से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:** इस पर भी कि शूटर दो से अधिक स्पर्धाओं में कनिष्ठ लक्ष्य शूटर है, ऐसे कनिष्ठ लक्ष्य शूटर द्वारा रखे जा सकने वाले शस्त्रों की कुल संख्या उपरोल्लिखित अनुसार चार से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि यहां दी गई छूट निम्नलिखित और शर्तों के अध्ययीन होगी, नामत:-

(1) अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 पर विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रमाणकर्ता निकाय, खेल-कूद विभाग, युवा और खेलकूद मंत्रालय, भारत सरकार, होगा। प्रमाणपत्र में विशेष रुप से उल्लेख किया जाएगा कि एक शूटर के रुप में श्रेष्ठ होने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था।

(2) 'इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले कनिष्ठ लक्ष्य शूटर ने बारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

विवृत्ति------ इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,

(क) 'अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप' से तात्पर्य है एशियन खेल, एशियन शूटिंग चैंपियन शिप, एशियन महिला अथवा एशियन जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप, अथवा राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियन शिप, ओलम्पिक खेल, विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप; और सीनियर व जूनियर स्पर्धाओं में विश्वकप; उपर्युक्त सभी श्रेणियों में पैरा चैंपियनशिप।

(ख) 'अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य शूटर' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप'में वैयक्तिक अथवा टीम मेडल जीता है।

(ग) 'विख्यात शूटर' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने या तो अर्हक टूर्नामेंट अथवा अंतरराष्ट्रीय शूटिंग यूनियन के नियमों के अनुसार आयोजित वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से ओपन पुरुष स्पर्धा अथवा ओपन महिला स्पर्धा अथवा ओपन सिविलियन स्पर्धा में भाग लिया है और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक स्कोर प्राप्त कर लिया है।

(घ) 'कनिष्ठ लक्ष्य शूटर' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने बारह बर्ष की आयु पूरी कर ली है परंतु इक्कीस वर्ष से कम आयु का है और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम किसी एक राज्य स्तर, आंचलिक स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है।

(ड.) 'आकांक्षी शूटर' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम किसी एक राज्य स्तर, आंचलिक स्तर, अथवा राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग स्पर्धा में भाग लिया है और संबंधित एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित न्यूनतम निर्धारित अर्हक स्कोर प्राप्त कर लिया है।

अनुसूची

क्र0 सं0	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग	श्रेणी/शस्त्रों का वर्णन	शर्तें
1.	अर्जुन पुरस्कार पाने वाले	अधिकृत शस्त्रों की संख्या पर सामान्य छूट बशर्ते कि अर्जुन पुरस्कार शूटिंग में प्रदान किया गया हो।	व्यक्ति के पास इस अधिसूचना के परंतुक में विनिर्दिष्ट उपयुक्त प्रमाणकर्ता निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2013

S.O. 591(E).—In exercise of the powers conferred by Section 41 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. SO 667 (E) dated the 12th September, 1985 by way of modifying the text incorporating alterations brought through subsequent Notifications No. S.O. 831 (E) dated 2nd August, 2002; S.O. 568 (E) dated 12th May, 2004 and S.O 1864 (E) dated 19th October, 2007 and new provisions all together to make the orders comprehensive and reading as follows:

"whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to exempt certain classes of persons from the operation of some of the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of the said Act, the Central Government hereby exempts the classes of the persons specified in column 2 of the Schedule hereto annexed, in respect of the arms of the category of description specified in the corresponding entry in column 3 thereof, when carried, possessed for their own personal use for the purpose of training or use in competitions, from the operations of the provisions of sub-section(2) of section 3 and sub-clause(i) of clause(a) of sub-section (1) of section 9, of the said Act and subject to such conditions as are specified in the corresponding entry in column 4 of the said schedule:

Provided that the exemption hereby granted shall be subject to the following further conditions, namely:-

(1) the certifying body for persons specified at Serial No.1 to 3 of the Schedule shall be Department of Sports, Ministry of youth Affairs and Sports, Government of India. The certificate shall specifically state that the award was conferred for excellence as a shooter.

(2) The Junior Target Shooter claiming exemption under this notification has completed the age of twelve years.

Explanation – For the purposes of this notification,

(a) 'International Championship' means the Asian Games, the Asian Shooting Championship, the Asian women or Asian Junior Shooting Championship, or the Commonwealth Games, the Commonwealth Shooting Championships, the Olympic Games, the World Junior Shooting Championships; and the World Cups in senior as well as junior events; para championships in all the above categories.

4.	आकांक्षी शूटर	जिस स्पर्धा में व्यक्ति अन्तरराष्ट्रीय पदक धारक अथवा ख्याति प्राप्त निशानेबाज है उसमें किस प्रकार के शस्त्र प्रयोग किए गए। (i) .22 अंतरव्यास की लोंग राइफल (.22 एल0आर0 के नाम से भी विख्यात) (ii) 8 एम0एम0 से कम सभी अंतरव्यासों वाली को मिलाकर 8 एम0एम0 तक के अंतरव्यासों वाली सेन्टर फायर राइफलें। (iii) 9एम0एम0 पैराबेलम (9x19एम0एम0) को छोड़कर 9एम0एम0 तक अथवा 9एम0एम0 अंतरव्यास वाली पिस्तौल/रिवाल्वरें। (iv) 12 बॉर/गेज से कम सभी अंतरव्यासों को मिलाकर 12 बोर/गेज तक के अंतरव्यास वाली बन्दूकें।	छूट प्रदान किए गए शस्त्रों की कुल संख्या शस्त्र अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार सामान्य नागरिक होने से एक व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने के अधिकार को मिलाकर चार से अधिक नहीं होगी।
5.	जिला राइफल संघ/राज्य राइफल संघ/भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ/राज्य राइफल संघ अथवा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से मान्यता प्राप्त सभी राइफल क्लब। भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन सभी शूटिंग रेंज।	(i) .22 अंतरव्यास की लोंग राइफल (.22 एल0आर0 के नाम से भी विख्यात) (ii) 8 एम0एम0 से कम सभी अंतरव्यासों वाली को मिलाकर 8 एम0एम0 तक के अंतरव्यासों वाली सेन्टर फायर राइफलें। (iii) 9एम0एम0 पैराबेलम (9x19एम0एम0) को छोड़कर 9एम0एम0 तक अथवा 9एम0एम0 अंतरव्यास वाली पिस्तौल/रिवाल्वरें। (iv) 12 बॉर/गेज से कम सभी अंतरव्यासों को मिलाकर 12 बोर/गेज तक के अंतरव्यास वाली बन्दूकें।	शस्त्र रखे जाने पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।

[सं. वी-11026/59/2011-शस्त्र]

एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

		parabellum (9x19mm). (iv) Shotguns of caliber up to 12 bore / gauge including all calibers lower than 12 bore/ gauge.	can possess shall not exceed ten as mentioned above.
3.	Junior Target shooter (12 years to 21 years)	Type of arms used in the event in which the person is a Junior Target Shooter.	The total number of weapons exempted shall not exceed four including the number of weapons the person is entitled to possess as a normal citizen as per provisions of the Arms Act, 1959. **<u>Note:</u>** Even if a shooter is Junior Target Shooter in more than two events, the total number of weapons such Junior Target Shooter can possess shall not exceed four as mentioned above.
4.	Aspiring Shooters	Type of arms used in the event in which the person is an international medalist or a renowned shot. (i) Rifles in caliber .22 Long Rifle (also known as .22 LR). (ii) Center fire rifles calibers up to 8mm including all calibers lower than 8 mm. (iii) Pistol / Revolvers of caliber up and including 9mm but	The total umber of weapons exempted shall not exceed four including the number of weapons the person is entitled to possess as a normal citizen as per provisions of the Arms Act, 1959.

(b) 'International Target Shooter' means a person who has won an individual or team medal in an International Championship.

(c) 'Renowned Shooter' means a person who has participated in a National Shooting Championship in an Open Men's Event or Open Women's Event or Open Civilian's Event whether through Qualifying Tournament or Wild Card Entry conducted in accordance with the rules of International Shooting Union and has attained the Minimum Qualifying Score prescribed by the National Rifle Association.

(d) 'Junior Target Shooter' means a person who has completed the age of twelve years but is below the age of twenty one years and has taken part in at least one State Level, Zonal Level, or National Level Shooting Competition recognized by National Rifle Association.

(e) 'Aspiring Shooter' means a person who has taken part in at least one State Level, Zonal Level, or National Level Shooting Competition recognized by National Rifle Association and attained the prescribed minimum qualifying score approved by the respective association."

SCHEDULE

Sr. No.	Persons or class of persons	Categories/descriptions of arms	Conditions
1.	Arjuna Awardee	General exemption on the number of arms to be possessed provided that the Arjuna Award is conferred in shooting.	The person must hold a certificate issued by the appropriate certifying bodies specified in the proviso to this notification.
2.	International Medalist / Renowned shot	Type of arms used in the event in which the person is an international medalist or a renowned shot. (i) Rifles in caliber .22 Long Rifle (also known as .22 LR). (ii) Center fire Rifles with calibers up to 8mm including all calibers lower than 8mm.. (iii) Pistol / Revolvers of caliber up and including 9mm but excluding 9mm	The total number of weapons exempted shall not exceed six in addition to the number of weapons he is entitled to possess as a normal citizen as per provisions of the Arms Act, 1959, subject to overall ceiling of ten weapons. **Note:** Even if a shooter is renowned in more than two events, the total number of weapons such renowned shooter

		excluding 9mm parabellum (9x19mm). (iv) Shotguns of caliber up to 12 bore / gauge including all calibers lower than 12 bore / gauge.	
5.	District Rifle Association / State Rifle Associations / National Rifle Association of India / All Shooting clubs affiliated to the State or the National Rifle association of India. All shooting Ranges under the Sports Authority of India or the Sports Authority of the State Governments.	(i) Rifles in caliber .22 Long Rifle (also known as .22LR). (ii) Center fire rifles calibers up to 8mm including all calibers lower than 8 mm. (iii) Pistol / Revolvers of caliber up and including 9mm but excluding 9mm paralbellum (9x19mm). (iv) Shotguns of caliber up to 12 bore / gauge including all calibers lower than 12 bore / gauge.	No limit will be prescribed on the possession of Arms.

[No. V-11026/59/2011-Arms]

M. GOPAL REDDY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.